

देवघर समाहणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या ...125/भू अ०

दिनांक : 22/01/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-नगरिया, थाना-पालोजोरी, थाना सं०-351, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा घीया मोड़ (सारठ-बस्ती-पालोजोरी पथ पर)-मधुपुर-बसबुटिया मोड़ तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-नगरिया, थाना-पालोजोरी, थाना सं०-351, अंचल-पालोजोरी, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.40 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	4	298	रैयती	बाड़ी-2	0.02	श्रीमती गिरजी भंडारीन पे० भादु भंडारी। सा० देह।	कपस I, थाना संख्य I 353	पारन गरिय I, थाना संख्य I-34 8,	अर्जित रकवा का अंश।	नावाड ीह, थाना संख्या 346
2	5	297	रैयती	बाड़ी-2	0.03	कन्हाई भण्डारी पे० बरजू भण्डारी वो संतोष भण्डारी वो नरेश भण्डारी पे० जगरनाथ भण्डारी। अंश समान सा० देह।				
3	5	299	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव।				
4	9	303	रैयती	धानी-3	0.005	कलावती देवी वो लिलावती देवी वो मालावती देवी पे० भगलु राय वो नागो राय वो जागो राय वो रघुवीर राय वो मलेट्री राय पे० केशो राय। अंश समान सा० देह।				
5	14	80	रैयती	धानी-3	0.03	बलराम महतो वो बनवारी महतो पे० किशुन महतो वो गुईया महतो वो जुईया महतो वो माधो महतो वो सेतन महतो पे० पांडु महतो (ज०रै०)				
6	23	2	रैयती	बाड़ी-1	0.04	नित्यानंद सिंह वो रामानंद सिंह पे० सदानंद सिंह वो भवानी देवी पति स्व० विश्वनाथ सिंह वो संगीता देवी पति स्व० सुनील सिंह वो महेश्वर प्र० सिंह वो चन्द्रमोलेश्वर प्र० सिंह पे० बैद्यनाथ प्र० सिंह। अंश समान सा० देह।				
7	23	296	रैयती	बाड़ी-1	0.10	तथैव।				
8	23	304	रैयती	धानी-1	0.005	तथैव।				
9	23	311	रैयती	धानी-1	0.07	तथैव।				
10	23	305	रैयती	गड़िया	0.09	तथैव।				
कुल रकवा-						0.40				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

देवघर

अपर समाहर्ता

देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक .../ भू अ०, देवघर, दिनांक 29/01/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पालोजोरी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

देवघर

अपर समाहर्ता

देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।